न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 43/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लि., रजिस्टर्ड पता–छठी मंजिल, प्लाट नम्बर 15, इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 14, गुरूग्राम व शाखा कार्यालय शॉप नम्बर 67बी व 68, सेकिण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर 277, टैगोर नगर, डीसीएम के पास, सीकर रोड़, सीकर
जरिये प्राधिकृत अधिकारी देवेन्द्र सिंह राठौड़

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. भंवरी देवी

पता – (1) वार्ड नम्बर 05, उदयपुरा दुधवा, दांतारामगढ़, सीकर
पता – (2) पट्टा नम्बर 97, ग्राम उदयपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर

2. मोहन राम

पता – (1) वार्ड नम्बर 05, उदयपुरा दुधवा, दांतारामगढ़, सीकर
पता – (2) पट्टा नम्बर 97, ग्राम उदयपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर

3. ताराचंद मील

पता – (1) वार्ड नम्बर 05, उदयपुरा दुधवा, दांतारामगढ़, सीकर
पता – (2) पट्टा नम्बर 97, ग्राम उदयपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 07.10.2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री दिनेश कुमार सैनी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **भंवरी देवी, मोहन राम** एवं **ताराचंद मील** की ओर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **मोहन लाल पुत्र मांगुराम** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नम्बर 97, ग्राम उदयपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 300 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में भागीरथमल मील की कृषि भूमि, पश्चिम दिशा में स्वयं की भूमि, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में नेला राम यादव की कृषि भूमि है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 5,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पांच लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **19.08.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **19.08.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **भंवरी देवी, मोहन राम** एवं **ताराचंद मील** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **मोहन लाल पुत्र मांगुराम** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नम्बर 97, ग्राम उदयपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 300 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में भागीरथमल मील की कृषि भूमि, पश्चिम दिशा में स्वयं की भूमि, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में नेला राम यादव की कृषि भूमि है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 07.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर